

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

प्रेस विज्ञप्ति

कबीर अन्वेषित अनुदान योजना, बिहार में किसी भी उम्र के बी०पी०एल० परिवार के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित /निकटस्थ संबंधी को अन्वेषित क्रिया हेतु सहायता राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इसके तहत अनुदान राशि 3,000/- रु० प्रति अनुदान दिया जाता है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों पर उस परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में दिया जाता है। अनुदान के लिए मृतक के उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं होता है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिलान्तर्गत भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान इससे संबंधित कई मामलों आवंटन के अभाव में लंबित पाया गया। विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुस्लीगंज को राशि उपावंटित कर दी गयी है। मधेपुरा को-2,19,000/-, घैलाढ़ को 1,11,000/-, गम्हरिया-99,000/-, सिंहेश्वर-1,65,000/-, शंकरपुर-1,11,000/-, कुमारखण्ड-2,67,000/-, मुस्लीगंज-2,16,000/-, उदाकिशुनगंज-2,04,000/-, बिहारीगंज- 1,53,000/-, ग्वालपाड़ा-1,53,000/-, पुरैनी-1,11,000/-, चौसा-1,65,000/-, आलमनगर- 1,77,000/-, नगर परिषद्, मधेपुरा-66,000/- एवं नगर पंचायत, मुस्लीगंज-39,000/- रु० अर्थात् कुल-22,56,000/- (बाईस लाख छप्पन हजार) रु० मात्र इस मद में उपावंटित कर दिया गया है।

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुस्लीगंज को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अप्रैल, 2016 से अब तक इस योजनान्तर्गत लंबित सभी बकाया राशि का नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें तथा इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा में उपलब्ध करावें, ताकि शेष बकाया राशि का विभाग से अधियाचना किया जा सके।

ह०/-

सहायक निदेशक

सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा।

ज्ञापांक 319-2/सा०सु०को०, मधेपुरा, दिनांक 22.11.16

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुस्लीगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।


सहायक निदेशक

सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा।